

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संचिका संख्या-2/सा.सु.सूख-01/2013 (अंश)

ज्ञापक 373 भो० ७७ / यो० वि०, पटना दिनांक 08.10. 2013

प्रतिलिपि मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / मंत्री,
समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

सिद्ध
8/10/13
संयुक्त निदेशक

ज्ञापक 373 भो० ७७ / यो० वि०, पटना दिनांक 08.10. 2013

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव
समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सिद्ध
8/10/13
संयुक्त निदेशक

समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) बिहार, पटना

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में वर्ष 2013-14 में रु0 3234.48 लाख योजना राशि के व्यय की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत समिति की दिनांक-03.10.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

योजना का नाम:- बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

योजना का उद्देश्य एवं इससे होनेवाले लाभ:- एड्स एक रोग है, जो एचआईवी0 नामक विषाणु से होता है। कुछ भातियों के कारण समाज के द्वारा पीड़ित रोगी को तिरस्कार की नजर से देखा जाता है, इस कारण इस रोग से पीड़ित कई लोग पहचान उजागर होने की डर से अपने रोग को उजागर नहीं करता चाहते हैं।

एड्स रोगियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों के सहायतार्थ बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य के सभी निबंधित एड्स पीड़ित को भोजन आदि हेतु रु0 1500/- प्रतिमाह की सहायता दी जायगी एवं एड्स रोगी के साथ-साथ एक Attendant के निःशुल्क आवास की व्यवस्था हेतु अल्पावास गृह (Short Stay Home) का संचालन किया जायेगा।

2. प्रस्ताव :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी एड्स रोगी को भोजनादि के लिए रु0 1,500/- प्रतिमाह सहायता राशि एवं एड्स पीड़ित व्यक्तियों के रहने के लिए राज्य के बारह जिलों में अल्पावास गृह (Short Stay Home) का संचालन की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है।

3. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुमानित 56,073 एड्स रोगी विन्धित किए गए हैं एवं इनमें 44,219 एड्स रोगी का निबंधन भी किया जा चुका है, जिनमें से 15,532 मरीजों का ईलाज ART केन्द्रों पर किया जा रहा है। इन्हें भी तत्काल इस योजना के तहत लाभ दिया जायगा। एड्स पीड़ित रोगियों को लाभान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत कुल रु0 32,34,48,000/- (बत्तीस करोड़ चौतीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसमें मासिक अनुदान में रु0 27,95,76,000/- (सत्ताईस करोड़ पनवानवे लाख छिहत्तर हजार रुपये) एवं अल्पावास गृह के संचालन हेतु रु0 4,38,72,000/- (चार करोड़ अड़तीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र व्यय का प्रावधान है।

4. संधिका संख्या:- 2/सा0सु0 एड्स-01/2013 (अश) स.क-

5. संलेख का ज्ञापक एवं दिनांक:-1913 दिनांक-19.09.2013

6. बजट शीर्ष और बजट की सफलब्यता:- नई योजना है।

7. प्राधिकृत समिति का निर्णय:-कडिका-2 स्वीकृत। समाज कल्याण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी को उपलब्ध करायगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु 10.00 (दस) लाख रु0 व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग, बिहार,
पटना।

(राजित पुनहानी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

(विजयी प्रकाश)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

(आलोक कुमार सिन्हा)
विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।